

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, राँची

विविध अपील वाद सं० 75 आर० 15/2022-23

07
13.09.2023

श्री विशु उरॉव पिता स्व० मादु उरॉव निवासी ग्राम डोरेयाटोली, होटवासी, पोस्ट बालालौंग, थाना नगड़ी जिला राँची

द्वारा प्रतिनिधि एवं पावर ऑफ एटोनी होल्डर सोनी तिकी पिता श्री विशु उरॉव निवासी ग्राम डोरेयाटोली, होटवासी, पोस्ट बालालौंग, थाना नगड़ी जिला राँची अपीलकर्ता

बनाम

निन्हु उरॉव पिता स्व० सोहराय निवासी ग्राम डोरेयाटोली, होटवासी, पोस्ट बालालौंग, थाना नगड़ी, जिला राँची उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलकर्ता ने विद्वान लगान वाद उपसमाहर्ता, सदर, राँची के द्वारा परमिशन वाद सं० 406 आर० 8 11/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत उत्तरवादी के द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत प्रस्तुत आवेदन का स्वीकृत करते हुए मौजा होटवासी, थाना सं० 232, जिला राँची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 151 रकबा 10 डी० भूमि को खरीददार अनुराधा बड़ाईक पिता मन्जन बड़ाईक पति संदीप बड़ाईक निवासी ग्राम बालालौंग, थाना नगड़ी, जिला राँची के साथ स्थानीय बाजार दर पर बिक्री करने का अनुमति प्रदान की गई।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार - मौजा होटवासी, थाना नगड़ी, जिला राँची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 151 रकबा 10 डी० भूमि आर० एस० खतियान में गोयन्दा उरॉव, बिरसा उरॉव एवं हारुण उरॉव पिता छोटका मंगरा उरॉव के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत गोयन्दा उरॉव नावलद स्वर्गवास हो गये, जबकि बिरसा उरॉव अपने पीछे दो पुत्र मंगरा उरॉव एवं मसरू उरॉव छोड़



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

गये। उपरोक्त मंगरा उर्रॉव अपने पीछे बंधना उर्रॉव एवं गोयन्दा उर्रॉव छोड़ गये, एवं उक्त मसरू उर्रॉव अपने पीछे दो पुत्र निन्दु उर्रॉव एवं हारूण उर्रॉव छोड़कर स्वर्गवास हो गये। खतियानी रैयत हारूण उर्रॉव अपने पीछे तीन पुत्र बोदा उर्रॉव, लक्ष्मण उर्रॉव एवं माडु उर्रॉव छोड़ गये, जिसमें मे उक्त बोदा उर्रॉव अपने पीछे दो पुत्र चुमनु उर्रॉव एवं मिटुआ उर्रॉव छोड़ गये। चुमनु उर्रॉव अपने पीछे दत्तक पुत्र दीपक तिग्गा छोड़ गये, जबकि लक्ष्मण उर्रॉव नावलद स्वर्गवास हो गये एवं माडु उर्रॉव अपने पीछे तीन पुत्र विशु उर्रॉव, बोदा उर्रॉव एवं मदरा उर्रॉव छोड़ की स्वर्गवास हो गये। उपरोक्त भूमि का अब तक बंटवारा नहीं हुआ है तथा वह खतियानी रैयत के उपरोक्त वंशजों के द्वारा संयुक्त रूप से धारित है।

अपीलकर्ता के द्वारा नगड़ी, पुलिस के समक्ष आवेदन समर्पित कर जानकारी प्रदान किया गया था कि उत्तरवादी बिना बंटवारा किये खतियानी भूमि को विक्रय करने का अवैध प्रयास कर रहे हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभवना है। पुलिस के द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी के समक्ष धारा 107 भा० द० प्र० संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन अग्रसारित किया गया, जिसपर संज्ञान लेते हुए अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने धारा 107 के तहत केस सं० एम०-1745/2922 संधारित किया, जो लंबित है। अपीलकर्ता के द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, रॉंची के समक्ष धारा 144 भा०द०प्र० संहिता के अन्तर्गत वाद सं० एम० 2698/2022 दायर किया, परन्तु उपरोक्त दोनों वाद के लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी के द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर मौजा होटवासी, थाना सं० 232, जिला रॉंची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 151 रकबा 10 डी० भूमि को खरीददार अनुराधा बड़ाईक पिता मन्जन बड़ाईक पति संदीप बड़ाईक निवासी ग्राम बालालौंग, थाना नगड़ी,, जिला रॉंची के साथ स्थानीय बाजार दर पर बिक्री करने का अनुमति प्राप्त करने में सफल हुए।

उत्तरवादी के द्वारा विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष यह कहा



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

गया है कि प्रश्नगत भूमि उन्हें बंटवारे में प्राप्त हुआ है, परन्तु उनके द्वारा बंटवारा संबंधी कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है। वस्तुतः उपरोक्त भूमि का अब तक बंटवारा नहीं हुआ है तथा वह खतियानी रैयत के उपरोक्त वंशजों के द्वारा संयुक्त रूप से धारित है तथा उत्तरवादी गलत तथ्यों के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि के विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त करने में सफल हुए।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार - उत्तरवादी दीपक तिग्गा, पिता स्व० चुमन उराँव खतियान रैयत हरूण उराँव का परपोता है जो ग्राम पंचायत कुदलौंग के मुखिया एवं आम जनता के द्वारा सत्यापित वंशावली से प्रमाणित होता है। अपीलकर्ता का दावा कि उत्तरवादी दीपक तिग्गा, चुमनु उराँव के दत्तक पुत्र है बिल्कुल गलत है। मौजा होटवासी, थाना नगड़ी,, जिला राँची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 151 रकबा 10 डी० भूमि आर० एस० खतियान में गोयन्दा उराँव, बिरसा उराँव एवं हारूण उराँव पिता छोटका मंगरा उराँव के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत गोयन्दा उराँव बिरसा उराँव एवं हरूण उराँव में से गोयन्दा उराँव नावल्द हुए। बाकि दो रैयत बिरसा उराँव एवं हारूण उराँव के बीच में खाता नं०-10 कुल रकबा 7.37 एकड़ भूमि को आपसी मौखिक पारिवारिक समझौते के आधार पर बंटवारा सम्पन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्सा में प्राप्त भूमि पर शान्तिपूर्वक दखलकार होकर खेतीबारी करने लगे।

खतियानी रैयतों में से उपरोक्त हारूण उराँव अपने पीछे तीन पुत्र 1) बोदा उराँव वो 2) लक्ष्मण उराँव वो 3) माडु उराँव को छोड़कर स्वर्गवास हुए। इन तीनों भाई में से लक्ष्मण उराँव नावल्द हुआ। पिता को प्राप्त भूमि को बोदा उराँव एवं माडु उराँव ने आपसी पारिवारिक समझौते के तहत बंटवारा कर लिया। उपरोक्त माडु उराँव के मृत्यु उनको प्राप्त भूमि को उनके पुत्र विशु उराँव, बोदा उराँव एवं मदरा उराँव ने उपरांत आपसी पारिवारिक समझौते के तहत बंटवारा कर लिया। उपरोक्त विशु उराँव ने धारा 46 छो० क० अधिनियम, 1908 के



अनुसूची 14 - फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

तहत अपने हिस्से में प्राप्त मौजा होटवासी के खाता सं०-10, प्लॉट सं०-370 रकबा 18 डिसमिल, मध्ये 10 डिसमिल भूमि के विक्रय हेतु लगान वाद उपसमाहर्ता, सदर रॉची से परमिशन वाद संख्या-600 आर० 8।। / 12-13 में आदेश दिनांक 17.01.2013 द्वारा अनुमति प्राप्त कर पट्टा संख्या-336 दिनांक 15.03.2013 द्वारा उक्त भूमि नीलु लिण्डा पति-मंगल उराँव को हस्तांतरित कर दिया। उपरोक्त बंटवारे के आधार पर विशु उराँव के भाई मदरा उराँव, पिता माडु उराँव ने भी पट्टा सं०-1916 दिनांक 23.09.2022 एवं पट्टा सं०-1060 दिनांक 09.06.2018 के द्वारा तथा बोदा उराँव ने पट्टा सं०-1415 दिनांक 27.12.2016 एवं पट्टा सं०-1414 दिनांक 26.12.2016 द्वारा खतियानी भूमि को हस्तांतरित किया है। उपरोक्त तथ्य प्रमाणित करता है कि प्रश्नगत भूमि का बंटवारा खतियानी रैयत के वंशजों के मध्य हो चुका है।

अपीलकर्ता विशु उराँव के द्वारा एक शपथ-पत्र संख्या-95 दिनांक 19.05.2023 को निष्पादित करते हुए यह घोषणा किया है कि उत्तरवादीगण के द्वारा अपने हिस्से की भूमि की खरीद-बिक्री किया गया है एवं इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पावरधारी सोनी तिर्की के द्वारा जबरन विवाद उत्पन्न किया जा रहा है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। परमिशन वाद सं० 406 आर० 8।।/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान लगान वाद उपसमाहर्ता के द्वारा सभी औपचारिकताओं का पालन करते हुए अंचल पदाधिकारी नगड़ी, की अनुशंसा के आधार पर उत्तरवादी को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत मौजा होटवासी, थाना सं० 232, जिला रॉची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 151 रकबा 10 डी० भूमि को खरीददार अनुराधा बड़ाईक पिता मन्जन बड़ाईक, पति संदीप कुमार बड़ाईक ग्राम बालालौंग, थाना नगड़ी, जिला रॉची के साथ स्थानीय बाजार दर पर बिक्री करने का अनुमति प्रदान की गई। स्पष्ट है कि विक्रेता खतियानी रैयत के वंशज है तथा दोनों क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना

अनुसूची 14 - फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3


5

वो जिला रॉंची के निवासी है।


अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत बहस से स्पष्ट है कि उनका दावा प्रश्नगत भूमि के स्वत्व, हित, अधिकार एवं हिस्सा बंटवारे से संबंधित है, जिसका न्यायिक निर्णय किसी राजस्व न्यायालय द्वारा एक सारांश कार्यवाही (summary proceeding) नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है तथा विद्वान लगान वाद उपसमाहर्ता, सदर, रॉंची के द्वारा परमिशन वाद सं० 406 आर० 8 11/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 को बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति लगान वाद उपसमाहर्ता, सदर, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।


उपायुक्त
रॉंची

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त
रॉंची